प्रारूप –30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Uttarkashi.

No--202 Dated-02.07.20

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 22.2165 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Exeeutive Engineer P.M.G.S.y. Irrigation Division Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Saur to Osla Motar Road Under PMGSY Phase XVI (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Dharmeer,Gangar,Pawani,Osla village(s) in Mori tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 22.2165 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to ....annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector Uttarkashi

No 202   Dated 02.07.20

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 22.2165 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.M.G.S.Y. Irrigation Division Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Saur to Osla Motar Road Under PMGSY Phase XVI (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of village in Dhatmeer,Gangar,Pawani,Osla village(s) in Mori tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 22.2165 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to ....annexure............

- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of in Dhatmeer,Gangar,Pawani,Osla villages(s) is enclosed as annexure...... to annexure......

- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

- the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Eucl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector

प्रारूप 30.1

वन अधिकारी अधिनियम–2006 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग लम्बाई 28.100 कि0मी0 के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु वन भूमि 44.433 है0 हस्तान्तरण किया जाना है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 02.07.20 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है, बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुये है।

क0 स0	अधिकारी / सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डा0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री0 बलवन्त सिंह शाही	उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला	(हस्ताक्षर) उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला (उत्तरकाशी)
3	श्री विक्रम सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्रीमती जयमाला	जिला पंचायत सदस्य धराली	(हस्ताक्षर) सदस्या जिला पंचायत-वार्ड सं0- 01 धराली वि0ख0- भटवाड़ी, उत्तरकाशी
5	श्री मनोज मिनान	जिला पंचायत सदस्य नेताला	(हस्ताक्षर) मनोज मिनान सदस्य जिला पंचायत -नेताला जिला उत्तरकाशी
6	श्री मनीष राणा	जिला पंचायत सदस्य मातली बरसाली	(हस्ताक्षर) सदस्य ... वार्ड- 6 मातली बरसाली ... डुण्डा, उत्तरकाशी

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी .परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग निर्माण हेतु (14.0625 हे0 आरक्षित वन भूमि, 7.20 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 22.2165 हे0 वन भूमि) का सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 18.10.19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सोहन सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सोहन सिंह –उपजिलाधिकारी –अध्यक्ष
2– श्री बलवन्त सिंह साही –उप प्रभागीय वनाधिकारी–सदस्य
3– श्री मोनू कुमार गौतम–सहायक समाज कल्याण अधिकारी– मोरी –सदस्य/सचिव
4– श्री वचन पंवार –बी0डी0सी0 क्षेत्र – ओसला –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना हेतु 22.2165 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 22.2165 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित\ में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– मोरी
जनपद उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– मोरी
जनपद– उत्तरकाशी

60

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :—पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ———————

तहसील पुरोला, जिला :— उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (14.0625 हे0 आरक्षित वन भूमि, 7.20 हे0 सिविल सोयम भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि,) अर्थात कुल 22.2165 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ———————— द्वारा दिनांक................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ————————————— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत गंगाड
वि0ख0-मोरी(उत्तरकाशी)

ह0/—	ह0/—
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम......क्षेत्र
विकास खण्ड......मोरी

श्रीमती सुरमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत दाटमीर
विकासखण्ड-मोरी(उत्तरकाशी)

प्रधान
ग्राम पंचायत पंवाणी
विकासखण्ड-मोरी, उत्तरकाशी

प्रधान
ग्राम पंचायत-ओसला
वि0ख0-मोरी(उत्तरकाशी)

6

प्रारुप—30.4

दिनांक 20/04/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिथति

ग्राम पंचायत – ढाटमीर

परियोजना का नाम :—पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	सुरपाल	सुरपाल
(2)	फते सिंह	[signature]
(3)	राजपाल सिंह	[signature]
(4)	धर्म सिंह बी०डी०सी० [illegible]	[signature]
5	[illegible] सिंह	
6	सुरेश कुमार	[illegible] सिंह
7	Neela Singh	[signature]
8	राजेन्द्र सिंह	[signature]
9	[illegible] सिंह	[signature]
10	हरदयाल [illegible]	[signature]
11	जयचन्द रावत	जयचन्द
12	शीशपाल रावत	[signature]
13	जयवीर सिंह	जयवीर
14.	प्रवीण	[signature]
15.	दिनेश	[signature]
16.	शैलेन्द्र	
17	प्रदीप सिंह	[signature]
18	प्रेमसिंह	
19	रामलाल	

श्रीमती सुरमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत ढाटमीर
विकासखण्ड-मोरी(उत्तरकाशी)

5

प्रारुप—30.4

दिनांक 20/04/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत — गंगाड़

परियोजना का नाम :—पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	खजान सिंह	खजान सिंह
2	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
3	ठाकुर सिंह	[illegible]
4	जगत राम	जगत राम
5	जगमोहन सिंह	जगमोहन
6	कल्या सिंह	[illegible]
7	फते सिंह	फते सिंह
8	माहब सिंह	[illegible]
10	जय मोहन	[illegible]
11	मुरी सिंह	मुरी सिंह
12.	खजानू	खजानू
13	खजान सिंह	खजान
14	जायवर सिंह	जायवर
18	जयदेव सिंह	जयदेव
19	भास्कर प्रसाद	[illegible]
20	जगमोहन	
21	सुनदास	
22	[illegible]	[illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत गंगाड़
वि0ख0-मोरी (उत्तरकाशी)

प्रारुप—30.4

दिनांक 21/04/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत — पंवाणी

परियोजना का नाम :—पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सतेसिंह	[illegible]
2	प्रलाद सिंह	प्रहलाद [illegible]
3	बिलदार	बिलदार
4-	जयचंद	[illegible]
5-	जनक सिंह	[illegible]
6-	सत्येसिंह	[illegible]
7-	[illegible] सिंह	[illegible]
8-	जिल्दार सिंह	[illegible]
9	गुल्दार सिंह	[illegible]
10	राय सिंह	RS[illegible]
11	जयेन्द्र सिंह	
12	रघुवीर सिंह	[illegible]
(13)	बिजयपाल	
(14)	भगत सिंह	भगत सिंह
(15)	श्याम सिंह	श्याम सिंह
(16)	कालाराम	कालाराम
(17)	तोताराम	तोताराम
(18)	सोबनसिंह	सोबनसिंह
(19)	ज्ञानचन्द	ज्ञानचन्द
(20)	गुणेश	प्रधान ग्राम पंचायत पंवाणी विकासखण्ड मोरी, उत्तरकाशी
(21)	मोहन सिंह	
(22)	जयपाल	

प्रारुप—30.4

दिनांक 21/04/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत — ओसला

परियोजना का नाम :—पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चमारू	चमारू
2	जियाजीलाल	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	जयवीर सिंह	जयवीर
9	सुरेन्द्र सिंह	[illegible]
10	भगत सिंह	भगत सिंह
11	सवीलाल	सवीलाल
12	विवेक	विवेक
13	सजलिया	सजलिया
14	साबू	साबू
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	राजेन्द्र	राजेन्द्र
18	गुलाब	गुलाब

सुशीला

ग्राम पंचायत—ओसला
वि0ख0—मौरी(उत्तरकाशी)